



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234910  
CG-DL-E-06042022-234910

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]  
No. 266]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2022

सं. 20/2022— सीमा शुल्क

**सा.का.नि. 278(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 40/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 21 जुलाई, 2015, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 568 (अ) संख्या द्वारा, दिनांक 21 जुलाई, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. डी बीयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात, भारत।"

[फा.सं.डीजीईपी/जीएनजे/01/2021-टेक]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ट्राबैक)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2015 – सीमा शुल्क दिनांक 21.07.2015 भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग – II, खंड – 3 उपखंड (i) में जीएसआर 568(अ) संख्या दिनांक 21.07.2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 24/2020 – सीमा शुल्क दिनांक 21.05.2020 द्वारा किया गया था जिसे सा.का.नि. 306 (अ) दिनांक 21.05.2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2022

**No. 20/2022 - Customs**

**G.S.R. 278(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2015-Customs, dated the 21st July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 568 (E), dated the 21st July, 2015, namely:-

2. In the said notification, in the Table, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“3. De Beers India Private Ltd, Surat, Gujarat, India.”.

[F.No.DGEP/GnJ/01/2021-TECH]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note. – The principal notification No. 40/2015-Customs, dated the 21st July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 568 (E), dated the 21st July, 2015 and was last amended by notification No. 24/2020-Customs, dated 21st May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 306 (E), dated the 21st May, 2020.